UPME010087662026

न्यायालय-विशेष न्यायाधीश (आवश्यक वस्तु अधिनियम)/अपर सत्र न्यायाधीश, मेरठ ।
पीठासीन अधिकारी- चन्द्र शेखर मिश्र (उच्चतर न्यायिक सेवा)
जे०ओ०कोड संख्या यू०पी०- 6292
<u>दाण्डिक वाद सं0-769/2026</u>

उत्तर प्रदेश सरकार ....अभियोगी

प्रति

1- श्रीमती सरस्वती पत्नी संजय कुमार निवासी 235 बंगला एरिया वेस्ट एण्ड रोड थाना सदर बाजार, जिला मेरठ।

......अभियुक्ता

मु0 अ 0 सं0-2382/2022
धारा-135 विद्युत अधिनियम
थाना-ए०पी०टी० ,जिला मेरठ।

<u>निर्णय</u>

1- विवेचक संजीव कुमार उपनिरीक्षक ए०पी०टी० जनपद मेरठ के द्वारा मु0 अ 0 सं0 2382/2022, धारा-135 विद्युत अधिनियम, थाना-ए०पी०टी०, जिला मेरठ के प्रकरण में विवेचना के उपरान्त अभियुक्ता श्रीमती सरस्वती के विरूद्ध धारा-135 विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हेतु प्रस्तुत आरोप पत्र के आधार पर यह आपराधिक वाद सृजित हुआ है।

2- अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी सत्य प्रकाश अवर अभियन्ता 33/11 के०वी० उपकेन्द्र आर०टी०ओ० के द्वारा थानाध्यक्ष थाना ए०पी०टी० जनपद मेरठ को इस आशय की लिखित सूचना प्रस्तुत की गयी कि दिनांक 21.05.2022 को उनके द्वारा अन्य कर्मचारीगण के साथ की गयी विद्युत चैकिंग के दौरान अभियुक्ता मीटर की केबिल के अतिरिक्त एक अन्य केबिल को एल०टी०पोल पर लगे एल०टी०ए०बी०सी० से जोड़कर विद्युत का अवैध रुप से उपभोग करते पायी गयी। जिसके आधार पर अभियुक्ता के विरूद्ध मु0 अ 0 सं0 2382/2022, धारा-135 विद्युत अधिनियम, थाना-ए०पी०टी०, जिला मेरठ पर पंजीकृत हुआ।

3- प्रकरण की विवेचना, विवेचक को हस्तगत की गयी, जिसके द्वारा विवेचना के मध्य साक्षीगण के अभिकथन अंकित किये गये, घटना स्थल का नक्शा-नजरी तैयार किया गया तथा अभियुक्ता के विरूद्ध साक्ष्य पाते हुये आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 135 विद्युत अधिनियम विचारण हेतु न्यायालय प्रेषित किया गया है।

4- अभियुक्ता न्यायालय उपस्थित आयी। न्यायालय द्वारा अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान लोक अभियोजक (विद्युत) को सुनने के उपरान्त दिनांक 08.06.2026 को अभियुक्ता के विरूद्ध भारतीय विद्युत अधिनियम(संशोधन) 2003 की धारा 135 विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया। अभियुक्ता को आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उसने आरोप से इन्कार किया व विचारण की याचना की। अतः पत्रावली अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत की गयी।

5- अभियोजन ने अपने कथानक के समर्थन में अभियोजन साक्षी-1 के रूप में का0 नरवीन कुमार को सशपथ परीक्षित कराते हुए अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में घटना स्थल का नक्शा-नजरी प्रदर्श क-1, आरोप पत्र प्रदर्श क-2 साबित कराये गये है। अभियोजन के द्वारा पत्रावली पर अपना साक्ष्य समाप्त किये जाने पर पत्रावली अभियुक्ता के कथन धारा 313 द0प्र0सं0 हेतु नियत की गयी।

6- अभियुक्ता के बयान अन्तर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 अंकित कराये गये। अभियुक्ता द्वारा अभियोजन कथानक को गलत बताया गया तथा साक्षी द्वारा गलत गवाही देने का कथन किया तथा झूठा मुकदमा चलना बताया।

7- अभियुक्ता द्वारा पत्रावली पर बचाव साक्ष्य के रूप में नोटिस व अधिशासी अभियन्ता द्वारा थानाध्यक्ष थाना ए०पी०टी०/कंकरखेड़ा मेरठ को प्रेषित पत्र की प्रति दाखिल की गयी है। जिसके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अभियुक्ता द्वारा शमन धनराशि अंकन 2,000/- रूपये रसीद संख्या 576604711672 दिनांक 04.06.2026 की रसीद विद्युत विभाग के कार्यालय से प्राप्त कर ली गयी। जिसकी सूचना अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड प्रथम द्वारा पत्रांक- 3499 वि०न०वि०ख०वा० द्वितीय/मेरठ दिनांक 04.06.2026 से सम्बन्धित थानाध्यक्ष थाना ए०पी०टी०/कंकरखेड़ा, जिला मेरठ को सम्बोधित करते हुए पृष्ठांकित की गयी है।

8- उभय पक्षों का साक्ष्य समाप्त होने के पश्चात पत्रावली बहस हेतु नियत की गयी।

9- मैनें विद्युत विभाग के विद्वान विशेष अभियोजक एवं अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता के तर्को को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य का सम्यक् परिशीलन किया।

10- पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्ता द्वारा विद्युत विभाग को देय शमन शुल्क धनराशि जमा कर दी गयी है।

11- अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षी पी0डब्लू-1 का० नरवीन कुमार ने अपने साक्ष्य में मामले की विवेचना को उपनिरीक्षक संजीव कुमार के द्वारा किये जाने का कथन करते हुए उनके द्वारा तैयार किये गये आरोप पत्र को प्रदर्श क-1 के रूप में साबित किया है।

12- इस साक्षी से बचाव पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षा नहीं की गयी।

13- अभियुक्ता द्वारा अपने बचाव में मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया, अपितु अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड द्वारा थानाध्यक्ष थाना ए०पी०टी०/कंकरखेड़ा जनपद मेरठ को सम्बोधित पत्रांक 3499 वि०न०वि०ख०वा० द्वितीय/मेरठ दिनांक 04.06.2026 से सम्बन्धित थानाध्यक्ष थाना ए०पी०टी०/कंकरखेड़ा, की प्रति प्रस्तुत की है जिससे स्पष्ट है कि अभियुक्ता द्वारा शमन धनराशि विद्युत विभाग में जमा कर दी गयी है। इस पत्र के अनुसार अभियुक्ता के विरूद्ध कोई अन्य कार्यवाही शेष नहीं है। उक्त प्रलेखों को विद्युत विभाग के विशेष अभियोजक द्वारा असत्य होने का कोई कथन नहीं किया गया बल्कि उसकी सत्यता को स्वीकार होने का कथन ही बहस के समय किया गया।

14- विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 152(2) के प्राविधानों से यह स्पष्ट है कि यदि अभियुक्ता ने विद्युत अधिनियम की धारा 152(1) के अनुसार विद्युत विभाग में अपराध का शमन करा लिया है, तो यदि अभियुक्ता अभिरक्षा में है तो उसे स्वतन्त्र किया जायेगा, और किसी दाण्डिक न्यायालय में ऐसे उपभोक्ता या व्यक्ति के विरूद्ध कोई दाण्डिक वाद संस्थित नहीं किया जायेगा अथवा कोई दाण्डिक कार्यवाही जारी नहीं रखी जायेगी।

15- धारा-152(3) विद्युत अधिनियम में यह भी उपबन्धित हैं, कि धारा-152(1) के अनुसार अपराध का समाधान करने के लिए धनराशि की स्वीकृति का द0प्र0सं0 1973 की धारा-300 के अन्तर्गत दोषमुक्ति के समतुल्य माना जायेगा, क्योंकि अभियुक्ता द्वारा शमन

शुल्क तथा राजस्व निर्धारण जमा करा दिया गया है। अतः अभियुक्ता धारा 152(3) विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत दोषमुक्त किये जाने का अधिकारी है।

16- अभियोजन पक्ष की ओर से ऐसा कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य नहीं दिया गया है जिससे यह प्रकट हो कि अभियुक्ता द्वारा पूर्व में भी ऐसा कोई अपराध किया गया हो।

17- अभियुक्ता ने विद्युत विभाग में नियमानुसार शमन शुल्क जमा करके अपराध का शमन करा लिया है। जैसा कि अधिशासी अभियन्ता के पत्र से भी स्पष्ट होता है कि अभियुक्ता के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर पंजीकृत अपराध को समाप्त किये जाने की याचना की गई है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के उपरोक्त विश्लेषण से ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे अभियुक्ता के विरूद्ध लगाये गये अपराध आरोप को बल मिलता हो। अतएव इस निर्णय का उपसंहार करते हुए इन परिस्थितियों में अभियुक्ता द्वारा जुर्माना/शमन शुल्क एवं अन्तिम राजस्व निर्धारण समस्त बकाया जमा किये जाने के आधार पर अभियुक्ता धारा 135 भारतीय विद्युत अधिनियम (संशोधन)2003 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्ता श्रीमती सरस्वती पत्नी संजय कुमार निवासी 235 बंगला एरिया वेस्ट एण्ड रोड थाना सदर बाजार, जिला मेरठ को वाद संख्या-769/2026, मु०अ०सं०-2382/2022, धारा 135 भारतीय विद्युत अधिनियम, थाना ए०पी०टी०, जिला मेरठ, के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्ता जमानत पर है, उसके जमानत प्रपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा उसके प्रतिभूगणों को उनके जमानत के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार अभिलेखागार संग्रहीत हो।

दिनांक-11.06.2026

(चन्द्र शेखर मिश्र)
विशेष न्यायाधीश (ई०सी०एक्ट)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मेरठ।

आज यह निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांक-11.06.2026

(चन्द्र शेखर मिश्र)
विशेष न्यायाधीश (ई०सी०एक्ट)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मेरठ।

Digitally signed by CHANDRA SHEKHAR MISRA
Date: 2026.06.12 15:48:40 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court